झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–पण्डरा, थाना–कुडू, थाना न0–60, अंचल–कुडू, जिला–लोहरदगा** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **"चट्टी कुडू भाया कैरो पथ के चेनेज 8.450 में चेटर नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण"** अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्ति पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्ति किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा–पण्डरा, थाना–कुडू, थाना न0–60, अंचल–कुडू, जिला–लोहरदगा** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.159** एकड़ यानि.....हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	N.A	1335	रैयती	टाँड II	0.072	N.A	1277	1294	1276	1335
2	N.A	1346	रैयती	टाँड II	0.042	N.A	1310	1345	1346	1276
3	N.A	1345	रैयती	टाँड II	0.045	N.A	1346	1294	1345	1276
	कुल :–				0.159					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यवधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

28/6/17

उपायुक्त,
लोहरदगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–मकान्दू, थाना–कुडू, थाना न0–56, अंचल–कुडू, जिला–लोहरदगा** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **"चट्टी कुडू भाया कैरो पथ के चेनेज 8.450 में चेटर नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण"** अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्ति पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्ति किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा–मकान्दू, थाना–कुडू, थाना न0–56, अंचल–कुडू, जिला–लोहरदगा** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.282** एकड़ यानि.....हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	287	329	रैयती	टाँड II	0.282	ललैया पवरीया	1	328	329	328
	कुल :–				0.282					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यवधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

28/6/17
उपायुक्त,
लोहरदगा।